भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1267

सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

दमन में गो-कार्टिंग ज़ोन का उद्घाटन

1267. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 30 मार्च, 2025 को गो-कार्टिंग ज़ोन का उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस स्थान पर गो-कार्टिंग ज़ोन का उद्घाटन किया गया था, यह एक विवादित स्थल है और मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित है;

(ग) क्या उक्त स्थान का उपयोग मछुआरों द्वारा अपनी नावें खड़ी करने के लिए किया जाता था और उन्हें बलपूर्वक वहाँ से हटा दिया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने मामले में जानबूझकर गुमराह करने के लिए दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जो माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन का विकास एवं संवर्द्धन तथा साहसिक पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं और सुरक्षा को बढ़ाने का कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई हैं:-

- दमन में गो-कार्टिंग ज़ोन का उदघाटन 31.03.2025 को किया गया था। गो-कार्टिंग सरकारी जमीन पर विकसित किया गया है जो कि विवादित नहीं है और माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मामले लंबित हैः-

- वर्ष 2024 की रिट याचिका संख्या 9850 मैसर्स मत्स्य उद्योग विविध कार्यकारी सहकारी सोसाइटी लिमिटेड को सरकारी जमीन जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, के पट्टे का नवीनीकरण न होने से संबंधित है जो कि गो-कार्टिंग ज़ोन के बाहर है।
- वर्ष 2024 की रिट याचिका संख्या 17468 सरकारी ज़मीन से मछुआरों की नावों को हटाने के संबंध में है।

• दमन में समुद्र नरायण मंदिर के पास मछुआरों की नावों को 22.11.2024 को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह स्थानांतरण सरकारी खर्च पर किया गया था। इन नावों को भविष्य में समुद्र नरायण जेट्टी पर नए बने वोट पार्किंग में पार्क किया जाना है। जो मौजूदा जगह से मुश्किल से 200 मीटर दूर है और इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से कड़ैया मच्छीवाड़ा, दमन (यह भी सरकारी ज़मीन है) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

• इसके अलावा, मछुआरा समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए समुद्र नरायण जेट्टी का पैदल चलने बाले पुल तक विस्तार और नानी दमन में बोट पार्किंग का विकास नाम से 61.33 करोड़ रु. की लागत से एक परियोजना शुरु की गई है। परियोजना के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीः

(i) बोट पार्किंग
(ii) मत्स्यपालन कार्यालय
(iii) पार्किंग सुविधाएं
(iv) पैदल रास्ता
(v) डीज़ल पंप स्टेशन
(vi) अतिरिक्त जेट्टी

*****